ए.

केरल राज्य व्यापार (एम एंड एम) निगम सीमित

वी.

पी. पी. सुरेश एंड ओआरएस, ई. टी. सी. ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. (2019 की सिविल अपील Nos.7804-7813) अक्टूबर 04,2019

[एल**.** नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

प्रशासनिक कानूनः

नीतिगत निर्णय-विस्थापित श्रमिकों का पुनर्वास-तथ्यों के आधार पर, राज्य में अरैक की बिक्री पर प्रतिबंध-सरकार ने अपनी आजीविका से वंचित अरैक श्रमिकों को फिर से रोजगार नहीं दिया-श्रमिकों ने फिर पुनर्वास की मांग की-विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी आदेश जारी करना, निगम में दैनिक मजदूरी की 25 प्रतिशत रिक्तियों के खिलाफ उन्हें समायोजित करना-इसके बाद, अरैक श्रमिकों के पुनर्वास के मानदंडों में बदलाव और अरैक श्रमिकों के आश्रित बेटों के लिए रिक्तियों को निर्धारित करने का सरकारी आदेश जारी करना जो रोजगार के नुकसान के परिणामस्वरूप मारे गए थे-अरैक श्रमिकों ने पहले सरकारी आदेश को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को पहले सरकारी आदेश को लागू करने का निर्देश दिया-खंड पीठ ने आदेश को बरकरार रखा -सभी विस्थापित अबकारी श्रमिकों को इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि उन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा-सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन था कि भविष्य में आने वाले दैनिक वेतन रिक्तियों का 25 प्रतिशत विस्थापित अबकारी श्रमिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा-इस प्रकार, सभी अबकारी श्रमिकों को रोजगार का दावा करने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ-इसके अलावा, सरकार के ध्यान में आया कि 1996 के बाद कई विस्थापित अबकारी श्रमिकों की मौत हो गई और उनके परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण नीतिगत निर्णय में संशोधन किया-उक्त निर्णय को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सार्वजनिक हित के प्रकाश में लिया

गया था और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए-इस प्रकार, 25 प्रतिशत के खिलाफ विचार के लिए प्रत्यर्थीगणओं की अपेक्षा।

जी.

एच.

164

165

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस.

निगम में रिक्तियों की अनुपलब्धता को देखते हुए विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना एक असंभव काम बन गया था-नीति में बदलाव के कारण प्रत्यर्थीगणओं के मौलिक अधिकारों की हानि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है-नीति में परिवर्तन असमान नहीं है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

वैध अपेक्षा-मूल वैध अपेक्षा का सिद्धांत-प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा का सिद्धांत-उल्लिखित का अनुप्रयोग।

प्रशासनिक निर्णय-आनुपातिकता परीक्षण के अनुप्रयोग की समीक्षा-बताया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** सरकार ने विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया**,** उन्हें निगम में दैनिक वेतन रिक्तियों के **25** प्रतिशत के खिलाफ समायोजित किया। सभी विस्थापित अबकारी श्रमिकों को इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि उन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा।सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन था कि भविष्य में दैनिक वेतन रिक्तियों का **25** प्रतिशत विस्थापित अबकारी श्रमिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा।यह नहीं कहा जा सकता है कि निगम में खुदरा दुकानों में रोजगार का दावा करने के लिए सभी अबकारी श्रमिकों को एक निहित अधिकार प्राप्त हुआ।यह नहीं कहा जा सकता है कि एक निहित अधिकार दिनांकित सरकारी आदेश **20.02.2002** द्वारा बनाया गया था

और यह अक्षम्य था।इस बात का कोई स्पष्ट वादा नहीं था कि सभी विस्थापित श्रमिकों को पुनः रोजगार प्रदान किया जाएगा।**[**पैरा **11] [176-**बी**-**डी**]**

1.2 सरकार के अनुसार**,** अबकारी श्रमिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि निगम में दैनिक मजदूरी के **25** प्रतिशत रिक्त पदों पर रोजगार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा**,** जिसे प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण बदलना पड़ा।विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के निर्णय का कार्यान्वयन इस तथ्य को देखते हुए संभव नहीं था कि वर्ष **2002** के बाद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की रिक्तियों की संख्या बहुत कम थी**,** जबकि बड़ी संख्या में विस्थापित अबकारी श्रमिकों को समायोजित किया जाना था।सरकारी आदेश दिनांक **20.02.2002** के कार्यान्वयन में सरकार के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए**,** सरकार ने यह पाया

जी.

एच.

166 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

ए.

सरकारी आदेश दिनांक **07.08.2004** द्वारा नीतिगत निर्णय को संशोधित करने के लिए उपयुक्त है।सरकार के संज्ञान में आया कि **1996** के बाद कई विस्थापित अबकारी श्रमिकों की मौत हो गई।उनके परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करनी पड़ी।तत्काल आवश्यकता वाले परिवारों को प्राथमिकता देने के लिए**,** सरकार ने निर्णय लिया कि वर्ष **1996** के बाद मरने वाले मृतक अबकारी श्रमिकों के आश्रित बेटों को निगम में **25** प्रतिशत दैनिक मजदूरी रिक्तियों के खिलाफ रोजगार प्रदान किया जाएगा।उक्त निर्णय को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह जनहित को नजरअंदाज करते हुए लिया गया था।सरकार द्वारा दिनांकित **20.02.2002** सरकारी आदेश को बदलने के लिए प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया था।**[**पैरा **12] [176-**डी**-**एच**]**

2.1 किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपेक्षा को नीति या कानून के कुछ प्रतिकूल विचार के अस्तित्व के कारण वैध नहीं पाया जा सकता है।प्रशासनिक नीतियाँ बदलती परिस्थितियों के साथ बदल सकती हैं**,** जिसमें सरकारों के राजनीतिक रंग में बदलाव भी शामिल हैं।इस तरह

के परिवर्तन करने की स्वतंत्रता कुछ ऐसी है जो सरकार के संवैधानिक रूप में निहित है। **[**पैरा **17] [178-**डी**-**ई**]**

2.2 सार्वजनिक हित में नीति को बदलने की निर्णय निर्माताओं की स्वतंत्रता को मूल वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करके बाधित नहीं किया जा सकता है।जब तक सरकार मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से कार्य नहीं करती है**,** तब तक नीति में परिवर्तन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पराजित होने की वैध अपेक्षा के आधार पर न्यायिक समीक्षा द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।**[**पैरा **18] [178-**ई**-**एफ**]**

2.3 प्रत्यर्थीगणओं को दिया गया आश्वासन कि उन्हें दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की भविष्य की रिक्तियों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा**,** प्रत्यर्थीगणओं के अनुसार**,** वैध अपेक्षा के दावे को जन्म देता है।राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि नीति में परिवर्तन सरकारी आदेश दिनांक **20.02.2002** के कार्यान्वयन में कठिनाई के कारण था**,** स्वीकार किया जाता है।राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।चूंकि सरकार की परिवर्तन नीति का निर्णय केरल राज्य में विस्थापित अबकारी श्रमिकों और बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के हितों को संतुलित करने के लिए था**,** इसलिए **07.08.2004** पर लिया गया निर्णय जनहित के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।

जी.

एच.

167

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस.

ए.

वैध अपेक्षा के संबंध में प्रत्यर्थीगणओं के दावे पर विचार करते समय नीति में परिवर्तन का कारण सर्वोपरि सार्वजनिक हित को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।निगम में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में भविष्य की **25** प्रतिशत रिक्तियों पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगणओं की अपेक्षा वैध नहीं है।**[**पैरा **19] [178-**जी**.** एच**.; 1791-**ए**.** डी**.]** इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आश्वासन में बदलाव से पहले विस्थापित अबकारी श्रमिकों में से प्रत्येक को अवसर नहीं दिया गया था।हालाँकि**,** सरकार ने तर्क दिया कि विस्थापित अबकारी श्रमिकों से सरकारी आदेश दिनांक **07.08.2004** पारित करने से पहले उनके

प्रतिनिधियों के माध्यम से परामर्श किया गया था।नीति में बदलाव करने से पहले एक अवसर की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए जिसके द्वारा बड़ी संख्या में व्यक्तियों को आश्वासन दिया जाता है।**[**पैरा **20] [177-**डी**-**एफ**]**

2.5 एक शिकायत के मामले में कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण सुनवाई का अवसर दिए बिना एक वादे से मुकर गया है**,** जो कि पिछली प्रथा थी**,** वैध अपेक्षा का दावा किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में**,** यदि नीति या अभ्यास लाभ वापस लेने से पहले एक अवसर देना था**,** तो इस तरह के अभ्यास के गैर**-**अनुपालन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की वैध अपेक्षा को पराजित किया जाएगा।ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ किया गया दावा ही एक वादे को वापस लेने से पहले अवसर नहीं दिए जाने के संबंध में हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप 'वैध अपेक्षा' को पराजित किया जा सकता है **[**पैरा **21,22] [177-**एफ**-**जी**; 180-**डी**-**ई**]**

2.6 प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा का सिद्धांत उन मामलों पर लागू होगा जहां एक वादा किया जाता है और प्रभावित व्यक्ति को अवसर दिए बिना वापस ले लिया जाता है।प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता की आसन्न आवश्यकता उस व्यक्ति को अवसर देना है जो पिछले लाभ से वंचित है।उक्त नियम में एक अपवाद है।यदि सरकार द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को लाभ प्रदान करने वाली नीति की घोषणा की जाती है**,** लेकिन बाद में**,** सार्वजनिक हित के कारण**,** पहले घोषित किए गए लाभ वापस ले लिए जाते हैं**,** तो ऐसे असंख्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत अवसर प्रदान करना समीचीन नहीं है।दूसरे शब्दों में**,** ऐसे मामलों में**,** प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामले की परिस्थितियों को समझाने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है।**[**पैरा **23] [180-**ई**-**जी**]**

जी.

एच.

168 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

ए.

3.1 प्राथमिक समीक्षा का प्रयोग करते समय**,** न्यायालय को राज्य से नीति को उचित ठहराने के लिए कहने का अधिकार है और क्या दावेदारों के मौलिक अधिकारों को सीमित

करने की तत्काल आवश्यकता थी।द्वितीयक समीक्षा में, न्यायालय कार्यपालिका के निर्णय का सम्मान करता है।[पैरा **27] [182-**सी-डी]

3.2 आनुपातिकता में 'संतुलन परीक्षण' और 'आवश्यकता परीक्षण' शामिल हैं।जबकि संतुलन परीक्षण अत्यधिक और भारी दंड या अधिकारों या हितों के उल्लंघन और प्रासंगिक विचारों के स्पष्ट असंतुलन की जांच की अनुमति देता है, आवश्यकता परीक्षण के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन की आवश्यकता होती है।एक प्रशासनिक निर्णय को आनुपातिक कहा जा सकता है यदि:जिस उद्देश्य के साथ मौलिक अधिकारों में कटौती करने का निर्णय लिया जाता है वह महत्वपूर्ण है; उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों का उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है; और व्यक्तियों के अधिकारों को बाधित करने वाले साधन आवश्यक से अधिक नहीं हैं।[पारस **28,29] [182-**डी-एफ]

3.3 तत्काल मामले में, दिनांकित **07.08.2004** आदेश को चुनौती, जिसके द्वारा विचारकर्ता को रोजगार के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद **14,19** और **21** का उल्लंघन है।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और कहा कि **07.08.2004** दिनांकित आदेश दूषित है क्योंकि यह मनमानेपन और अनुचितता से ग्रस्त है।हालाँकि, अनुच्छेद **14,19** और **21** के उल्लंघन के आधार पर सरकार के निर्णय की चुनौती को देखते हुए, सरकार के विवादित निर्णय की समीक्षा के लिए आनुपातिकता का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए। [पैरा **30] [182-**एफ-एच]

3.4 सरकार द्वारा विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का वादा निगम में रिक्तियों की अनुपलब्धता को देखते हुए एक असंभव काम बन गया था।लोक हित पर हावी होकर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय केरल राज्य में विस्थापित अबकारी श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाने का एक उपाय था।नीति में परिवर्तन के कारण प्रत्यर्थीगणओं के मौलिक अधिकारों की हानि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विस्थापित अबकारी श्रमिकों के पुनः रोजगार के संबंध में नीति में परिवर्तन असमान है।[पैरा **32] [183-**डी-एफ] ए

जी.

एच.

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस.

3.5 उच्च न्यायालय में पक्ष रखने वाले प्रत्यर्थीगण का तर्क था कि **2007** की रिट याचिका **(**सी**)** संख्या **26878** में दिनांकित आदेश अवैध पाया गया था और उक्त निर्णय अंतिम हो गया है।मृत विस्थापित श्रमिकों के **265** आश्रित बेटों की सूची में शामिल होने के बावजूद उनकी नियुक्ति न होने से दुखी होकर**,** उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर सरकार को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की।उच्च न्यायालय ने सरकार को छह सप्ताह की अवधि के भीतर उन व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया जिन्हें सूची में शामिल किया गया था।उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि **20.02.2002** दिनांकित आदेश में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए था और सरकार को **07.08.2004** दिनांकित आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।सरकार ने रिट याचिका में उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन किया और एक सरकारी आदेश दिनांक **1** जारी किया जिसके द्वारा मृतक अबकारी श्रमिकों के **265** आश्रित बेटों को रोजगार प्रदान किया गया था।इसलिए**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि **2007** की रिट याचिका **(**सी**)** संख्या **26878** में दिनांकित **07.08.2004** आदेश की वैधता पर अंततः निर्णय लिया गया है।**[**पैरा **33] [183-**एफ**-**एच**]**

3.6 उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि प्रत्यर्थीगण को अर्जित नियुक्ति का अधिकार और यह संविधान के अनुच्छेद **21** में प्रदान किए गए जीवन के अधिकार में परिपक्व हो गया है**,** को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।उच्च न्यायालय की राय कि दिनांकित **07.08.2004** का आदेश दिनांकित **20.02.2002** के आदेश की निरंतरता में है**,** दिनांकित **20.02.2002** के आदेश को सुपरसीड नहीं किए जाने के मद्देनजर**,** अस्वीकृत है।**07.08.2004** का आदेश दिनांक **20.02.2002** के आदेश के संशोधन में जारी किया गया था।दोनों आदेशों की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि मृतक अबकारी श्रमिकों के आश्रित बेटों को ही रोजगार प्रदान करने के लिए लिए गए एक नए निर्णय को देखते हुए दिनांकित **07.08.2004** आदेश दिनांकित **20.02.2002** को प्रतिस्थापित करता है।**[**पैरा **34] [184-**बी**-**डी**]**

केरल और ओआरएस। (2006) 4 एससीसी 327:[2006] 3 एससीआर

जी.

420 ; भारत संघ बनाम हिंदुस्तान विकास

निगम और अन्य। (1993) 3 एससीसी 499:[1993] 3 एससीआर

128 ; पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनामभारत संघ

& ओआरएस। (1999) 4 एससीसी 727:[1999] 2 एससीआर 1033; राम

प्रवेश सिंह बनाम बिहार राज्य **(2006) 8** एससीसी **381:**

[2006] 6 पूरक।एससीआर 512; ओम कुमार बनाम यूनियन

एच.

170 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

ए.

भारत का आकाशवाणी 2000 एससी 3689:[2000] 4 पूरक।एससीआर

693 ; कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और अन्र। **(2007) 4** एससीसी **669:**

[2007] 5 एस**.** सी**.** आर**. 430-**संदर्भित।

सिविल सेवा संघों की परिषद और अन्य।मंत्री

सिविल सेवा के लिए (1984) 3 सभी ई. आर. 935; ह्यूजेस बनाम.

विभाग**.**स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभाग**,** एसी पी।**788 ;** फाइंडले बनाम सेकी।गृह विभाग की स्थिति।**(1984) 3** सभी ई**.** आर**. 801;** हांगकांग के महान्यायवादी बनाम एन**.** जी**.** युएन

शिउ [1983] 2 सभी ई. आर. 346-संदर्भित।

प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा (1955) और वेड एंड फोर्सिथःप्रशासनिक कानून (2005)-निर्दिष्ट

को।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 3 एससीआर **420**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[1993] 3 एससीआर **128**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[1999] 2 एससीआर **1033**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

[2006] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 512** पैरा **16 [2000] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **26 [2007] 5** एस**.** सी**.** आर**. 430** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 693**

संदर्भित किया गया है

पैरा **28**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील सं. 7804-7813।

2015 के डब्ल्यू. ए. सं. 1416,1440,1441,1442,1479,1482,1488,1503,1505 और 2342 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

के साथ

जी.

सिविल अपील संख्या 2019 की 7814-7832,7833,7834,2019 की अवमानना याचिका (C) No.638 2016 की विशेष अनुमति याचिका (C) Nos.5550-5559 में।

जयदीप गुप्ता, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता।, वी. गिरि, जोगी स्कारिया, मुथुहरान एस., सुश्री बीना विक्ट्री, वी. के. बीजू, सई जॉर्ज, अभय प्रताप सिंह, जी. प्रकाश, सी. के. सासी, नयनतारा रॉय, अब्दुल्ला नसीह ए.

एच.

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस.

यू. टी., एम. टी. जॉर्ज, श्रीमती सूसी अब्राहम, जॉन्स जॉर्ज, सैबी जोस किडनगूर, साजिथ पी. वारियर, सुश्री नाजिया हसन, मोहम्मद।मोनिश, रंजीत बी. मरार, सदचित पी. कुरुप, अनिल शर्मा, लाखी चंद, राहत बंसल, वरुण मुद्गल, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री ऋचा भारद्वाज, रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, सुश्री सीमा जैन, अखिल अब्राहम, कमलेश कुमार मित्रा, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, लेखा सुधाकरन, सुश्री रेशमिथा आर. चंद्रन, सावन कुमार शुक्ला, सुभाष चंद्रन पी., सुरेशन पी., अंकुर एस. कुलकर्णी, साजिथ।पी, लक्ष्मीश एस. कामत, सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, हिमिंदर लाल, एस. महेंद्रन, जी. प्रकाश, रमेश बाबू एम. आर., वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., वी. के. बीजू, साई जॉर्ज, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

अनुमति दी गई

1. आबकारी श्रमिकों का पुनर्वास मुख्य मुद्दा है जो उपरोक्त अपीलों में उत्पन्न होता है।केरल राज्य में अरैक पर प्रतिबंध के कारण नौकरी गंवाने वाले विस्थापित श्रमिक, उनके द्वारा दायर रिट याचिका में सफल रहे।केरल राज्य और केरल राज्य पेय निगम लिमिटेड (संक्षेप में, 'निगम') द्वारा दायर अपीलों को केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने खारिज कर दिया था।अतः उपरोक्त अपीलें।

2. केरल सरकार द्वारा अब तक निजी दलों द्वारा संचालित अरैक की दुकानों को समाप्त करने के लिए लिए गए निर्णय को देखते हुए निगम द्वारा वर्ष 1995 में अरैक की बिक्री के लिए खुदरा दुकानें शुरू की गई थीं।इसके बाद, 01.04.1996 पर, केरल राज्य में अरैक पर प्रतिबंध लगा दिया गया।परिणामस्वरूप, 12,500 अरैक श्रमिक अपनी आजीविका से वंचित हो गए।चूंकि विस्थापित अरैक श्रमिकों को पुनः रोजगार प्रदान करना संभव नहीं था, इसलिए राज्य सरकार ने मुआवजे के रूप में रु। 30, 000/- प्रत्येक अरैक श्रमिकों को पुनर्वास के बदले में।इसके अलावा, भविष्य निधि पेंशन और डी. सी. आर. जी. के अलावा सरकार द्वारा

Rs.2000 की अनुग्रह राशि भी वितरित की गई थी। पुनः रोजगार प्रदान नहीं करने के सरकार के फैसले से असंतुष्ट, अरक श्रमिकों ने पुनर्वास की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया। अरैक श्रमिकों और सरकार के बीच एक समझौते के अनुसार, जी. ओ. (आरटी) No.81/2002/TD दिनांक 20.02.2002 जारी किया गया था।सरकार ने आदेश दिया कि सभी दैनिक मजदूरी रोजगार का 25 प्रतिशत

भविष्य में निगम में जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी, उन्हें विस्थापित श्रमिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित किया जाएगा, जो अबकारी श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड के सदस्य थे और जिनकी सेवाओं को अरैक के प्रतिबंध के कारण समाप्त कर दिया गया था।

3. अरैक श्रमिकों के पुनर्वास के मानदंड को जी. ओ. (आर. टी.) संख्या 567/2004 टी. डी. दिनांक 07.08.2004 द्वारा बदल दिया गया था।इस आदेश के अनुसार, निगम में उत्पन्न होने वाली सभी दैनिक मजदूरी रोजगार रिक्तियों में से 25 प्रतिशत को उन अरक श्रमिकों के आश्रित बेटों के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था, जो राज्य में अरक पर प्रतिबंध के कारण रोजगार के नुकसान के परिणामस्वरूप मारे गए थे।यदि दावेदार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हैं, तो चयन के बाद रोजगार प्रदान किया जाएगा।पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता यह थी कि मृतक अरक श्रमिकों के आश्रित बेटों की आयु 38 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए थी।

4. इस बीच, केरल अबकारी दुकान निपटान नियम, 2002 (संक्षेप में "नियम") में नियम 4 (2) और 9 (10) (बी) पेश किए गए।उक्त नियमों में अबकारी दुकानों के उन्मूलन के कारण रोजगार खोने वाले अरैक श्रमिकों के अवशोषण का प्रावधान किया गया था।उक्त नियमों को वर्ष, 1902 में अधिनियमित आबकारी अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया था, 2006 की सिविल अपील में इस न्यायालय के एक फैसले द्वारा।[देखिए:केरल संस्थान चेथू

थोझिलाली संघ बनाम केरल राज्य और अन्य। **1]**

5. 265 व्यक्तियों की एक सूची, जो मृतक अरक श्रमिकों के आश्रित बेटे थे, सरकारी आदेश दिनांक 07.08.2004 के अनुसार तैयार की गई थी।उन्होंने एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें अपीलार्थी/राज्य को उन्हें रोजगार प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।उच्च न्यायालय ने फैसले की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर मृतक अरैक श्रमिकों के आश्रित बेटों को नियुक्त करके सरकारी आदेश दिनांक 1 को लागू करने का निर्देश दिया।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 03.03.2009 के फैसले में सरकार को उस दिनांकित 07.08.2004 के आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसके द्वारा उन सभी अरैक श्रमिकों को पुनर्वास का लाभ नहीं दिया गया, जो अरैक पर प्रतिबंध के अनुसार बेरोजगार रहे।जी. ओ (आरटी.) No.399/09/TD सरकार द्वारा 30.04.2009 पर 2007 की रिट याचिका (C) No.26878 में जारी निर्देश को लागू करते हुए उन सभी 265 व्यक्तियों को नियुक्त करके जारी किया गया था जिनके नाम थे

जी.

1 (2006) 4 एससीसी 327 ए

एच.

173

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस. [एल. नागेश्वर राव जे.] ए.

मृत अरक श्रमिकों के आश्रित बेटों की सूची में शामिल।अरैक पर प्रतिबंध के अनुसार उन श्रमिकों को कोई राहत नहीं दी गई जो बेरोजगार थे।जी. ओ. (आरटी) सं. 562/09 टीडी दिनांक 22.06.2009 जारी किया गया था, जिसमें सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया गया था, जैसे कि रिक्तियों की कमी, उन्हें समायोजित करने के लिए उपयुक्त मानदंड तय करना आदि।

6. विस्थापित अरैक श्रमिकों द्वारा सरकारी आदेशों दिनांक 07.08.2004 और 22.06.2009 की वैधता और वैधता को चुनौती दी गई थी।उन्होंने सरकार द्वारा 20.02.2002 पर पारित आदेश को लागू करने की मांग की, जिसके द्वारा प्रतिबंध के अनुसार बेरोजगार रहने वाले सभी अरैक श्रमिकों को पुनर्वास का लाभ दिया गया था।केरल

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.05.2015 के एक निर्णय द्वारा रिट याचिकाओं को अनुमति दी और राज्य सरकार को निर्णय की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जी. ओ. (आरटी) No.81/2002/TD दिनांक 20.02.2002 को लागू करने का निर्देश दिया।विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि विस्थापित श्रमिकों को निरंतर रोजगार की वैध अपेक्षा थी, जिसका वे दावा कर सकते थे।सरकार का यह औचित्य कि नीति में परिवर्तन जनहित के ऊपर होने के कारण किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

7. अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपीलों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि सरकारी आदेश दिनांक 1 ने श्रमिकों में वैध अपेक्षा पैदा की है कि वे नियुक्ति के हकदार होंगे।नीति में किसी भी बदलाव से पहले अरक श्रमिकों को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया जाना चाहिए था।उक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, खंड पीठ ने कहा कि सरकारी आदेश दिनांक 1 का कार्यान्वयन मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (संक्षेप में "संविधान") का उल्लंघन है।चूंकि मामला रोजगार के नुकसान से संबंधित था जिसके परिणामस्वरूप अरैक श्रमिकों की आजीविका से वंचित हो गया था, इसलिए उच्च न्यायालय की राय थी कि सरकारी आदेश दिनांक 1 भी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था।उच्च न्यायालय के अनुसार, 07.08.2004 दिनांकित सरकारी आदेश केवल 20.02.2002 दिनांकित पूर्व आदेश के संशोधन में था और अधिक्रमण में नहीं था।मृतक अरक श्रमिकों के आश्रित बेटों को रोजगार प्रदान करने के अलावा, विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार पर लगाया गया दायित्व, दिनांक 20.02.2002 के आदेश द्वारा, अस्तित्व में रहा।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्देशात्मक सिद्धांतों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 38 से 43 का उल्लेख किया।

संविधान में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकार द्वारा पुनर्वास प्रदान करने के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से था।यह निष्कर्ष निकालते हुए कि दिनांक 1 का सरकारी आदेश मनमानेपन और अनुचितता से ग्रस्त है, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा जिसके द्वारा विस्थापित अरैक श्रमिकों को निगम में रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

8. इस न्यायालय के समक्ष, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि पूर्ववर्ती सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 को संशोधित करने वाला दिनांक 07.08.2004 का सरकारी आदेश जनहित को ओवरराइड करने के कारण था।सरकार को निगम में विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के निर्णय को लागू करने में बहुत कठिनाई हुई।वर्ष 2002 में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या केवल 51 थी।हितधारकों के साथ एक विस्तृत चर्चा के बाद, सरकारी आदेश दिनांक 1 को संशोधित करने और केवल विस्थापित अबकारी श्रमिकों के आश्रित बेटों को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिनकी अरैक पर प्रतिबंध के बाद मृत्यु हो गई थी।राज्य के अनुसार, विस्थापित अबकारी श्रमिकों को सार्वजनिक रोजगार का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं था।चूंकि सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 को संशोधित/परिवर्तित करने का निर्णय सार्वजनिक हित में था, इसलिए प्रत्यर्थीगण यह दावा नहीं कर सकते थे कि उन्हें वैध अपेक्षा थी।राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकारी आदेश दिनांक 1 को संशोधित करने का निर्णय राज्य के एक नीतिगत निर्णय के अनुसार था जिसमें आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि विस्थापित श्रमिकों के रोजगार का नुकसान 20 साल से अधिक पहले हुआ था और प्रत्यर्थीगण अब रोजगार का दावा नहीं कर सकते हैं।उन्होंने आगे कहा कि अरक पर प्रतिबंध के कारण अपनी आजीविका खोने वाले प्रत्यर्थीगणओं को वर्ष 1996 में ही उचित रूप से मुआवजा दिया गया था और यह मान लेना संभव नहीं था कि वे अपनी नौकरी खोने के 23 साल बाद भी बेरोजगार थे।51 रिक्तियों के बदले 12,500 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त मानदंड तय करना सरकार के लिए एक चुनौती थी।सरकारी आदेश दिनांक 1 के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 2 पर एक बैठक आयोजित की गई थी।उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केवल मृतक विस्थापित श्रमिकों के आश्रित बेटे, जिनकी आयु 38 वर्ष पूरी नहीं हुई है, निगम में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की गई थी।कुल मिलाकर, 265 व्यक्तियों को सूची में शामिल किया गया और उन्हें नियुक्ति दी गई।ये नियुक्तियाँ सरकारी आदेश दिनांक 07.08.2004 के अनुसार की गई थीं।निगम ने तर्क दिया कि ए

जी.

एच.

175

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस. [एल. नागेश्वर राव जे.] ए.

निगम में सभी पदों पर नियुक्ति केरल राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। निगम के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना अन्य योग्य उम्मीदवारों के लिए हानिकारक था जो नियुक्ति का अवसर खो देंगे।

9. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को उचित ठहराया कि सरकारी आदेश दिनांक 1 को संशोधित करने का निर्णय मनमाना और अनुचित था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2002 में सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन कि विस्थापित अबकारी श्रमिकों को निगम में दैनिक वेतन रिक्तियों के 25 प्रतिशत के खिलाफ माना जाएगा, एक निहित अधिकार पैदा करता है।उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगणओं को यह मानने में एक वैध अपेक्षा थी कि राज्य निष्पक्षता से कार्य करेगा।कुछ प्रत्यर्थीगणओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि केवल मृतक अबकारी श्रमिकों के आश्रित बेटों को रोजगार प्रदान करना विस्थापित श्रमिकों को आत्महत्या करने का निमंत्रण था।2007 की रिट याचिका (सिविल) No.26878 में उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिलायंस को यह प्रस्तुत करने के लिए रखा गया था कि सरकारी आदेश दिनांक 07.08.2004 की शुद्धता से संबंधित मुद्दा अंतिम हो गया था।प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उनके द्वारा मुकदमेबाजी में लंबे और कई साल बिताए गए थे और विस्थापित अबकारी श्रमिकों में से अधिकांश अभी भी बेरोजगार थे।यदि उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

10. इन अपीलों में हमारे विचार के लिए जो बिंदु उत्पन्न होते हैं

ये हैं:

(क) क्या विस्थापित अबकारी श्रमिकों को सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 के अनुसार पुनर्वास का निहित अधिकार था;

(ख) क्या सरकारी आदेश दिनांक 1 का संशोधन/परिवर्तन अनुचितता, मनमानेपन और अनुचितता के कारण दूषित है।

जी.

(ग) उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षा का दायरा; और

प्रत्यर्थीगण(प्रत्यर्थीगणघप्रत्यर्थीगण)प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगण 2 प्रत्यर्थीगण 3 प्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणैप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणउप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणैप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणध प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणणप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणपप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणैप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणखप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणैप्रत्यर्थीगण।प्रत्यर्थीगण

एच.

A. रोजगार का निहित अधिकार

11. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1996 में राज्य में अरक पर प्रतिबंध के कारण कई अबकारी श्रमिकों ने अपनी आजीविका खो दी थी।उन्हें प्रदान किए गए मौद्रिक मुआवजे से असंतुष्ट, उन्होंने निगम में रोजगार की मांग की।आंदोलन हिंसक हो गया और कानून और व्यवस्था की समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए, सरकार ने विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया, उन्हें निगम में उत्पन्न होने वाले दैनिक वेतन रिक्तियों के 25 प्रतिशत के खिलाफ समायोजित किया।सभी विस्थापित अबकारी श्रमिकों को इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि उन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा।सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन था कि भविष्य में दैनिक वेतन रिक्तियों का 25 प्रतिशत विस्थापित अबकारी श्रमिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा।यह नहीं कहा जा सकता है कि निगम में खुदरा दुकानों में रोजगार का दावा करने के लिए सभी अबकारी श्रमिकों को एक निहित अधिकार प्राप्त हुआ।हम प्रत्यर्थीगण के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 द्वारा एक निहित अधिकार बनाया गया था और यह अक्षम्य था।इस बात का कोई स्पष्ट वादा नहीं था कि सभी विस्थापित श्रमिकों को पुनः रोजगार प्रदान किया जाएगा।

12. सरकार के अनुसार, अबकारी श्रमिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि निगम में दैनिक वेतन रिक्तियों में से 25 प्रतिशत में रोजगार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा, जिसे प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण बदलना पड़ा।विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के निर्णय का कार्यान्वयन इस तथ्य को देखते हुए संभव नहीं था कि वर्ष 2002 के बाद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की रिक्तियों की संख्या बहुत कम थी, जबकि बड़ी संख्या में विस्थापित अबकारी श्रमिकों को समायोजित किया जाना था।सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 के कार्यान्वयन में सरकार के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने सरकारी आदेश दिनांक 07.08.2004 द्वारा नीतिगत निर्णय को संशोधित करना उचित पाया।सरकार के संज्ञान में आया कि 1996 के बाद कई विस्थापित अबकारी श्रमिकों की मौत हो गई।उनके परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करनी पड़ी। तत्काल आवश्यकता वाले परिवारों को प्राथमिकता देने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया कि वर्ष 1996 के बाद मरने वाले मृतक अबकारी श्रमिकों के आश्रित बेटों को निगम में 25 प्रतिशत दैनिक मजदूरी रिक्तियों के खिलाफ रोजगार प्रदान किया जाएगा।उक्त निर्णय को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह जनहित को नजरअंदाज करते हुए लिया गया था।सरकार द्वारा दिनांकित 20.02.2002 सरकारी आदेश को बदलने के लिए प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया था।

जी.

एच.

177

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस. [एल. नागेश्वर राव जे.] ए.

ए.

B. वैध अपेक्षा

13. प्रत्यर्थीगण की ओर से मुख्य तर्क यह था कि सरकार अपने वादे से बंधी हुई थी और इससे पीछे नहीं हट सकती थी।उन्हें निरंतर रोजगार की एक अक्षम्य वैध अपेक्षा थी, जो सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 से उपजी थी जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। प्रत्यर्थीगणओं की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जिन लाभ का वादा किया गया था, उसे छीनने से पहले उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया था।प्रत्यर्थीगणओं के इस तर्क की सराहना करने के लिए, वैध अपेक्षा की अवधारणा को समझना आवश्यक है।

14. वैध अपेक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी गई है

भारत संघ बनाम हिंदुस्तान विकास मामले में इस न्यायालय द्वारा

निगम और अन्य। 2 यदि किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया वादा स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट है, तो कोई व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि प्राधिकरण को पूरी निष्पक्षता से वादे के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए।

15. एम. जगन्नाथ राव, जे. ने वैध होने के बारे में विस्तार से स्पष्ट किया

पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनामभारत संघ और अन्य। **3** उन्होंने सिविल सेवा संघों की परिषद और अन्य बनाम में निर्णय का उल्लेख किया।सिविल सेवा मंत्री **4** जिसमें लॉर्ड डिप्लॉक

यह मत व्यक्त किया गया था कि एक वैध अपेक्षा उत्पन्न होने के लिए, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णयों को व्यक्ति को कुछ लाभ या लाभ से वंचित करके प्रभावित करना चाहिए जो,

(i) उसे अतीत में निर्णय निर्माता द्वारा आनंद लेने की अनुमति दी गई थी और जिसे वह वैध रूप से तब तक जारी रखने की अनुमति की उम्मीद कर सकता है जब तक कि उसे इसे वापस

लेने के लिए कुछ तर्कसंगत आधार नहीं बताए गए हैं, जिस पर उसे टिप्पणी करने का अवसर दिया गया है; या

((ii) उसे निर्णयकर्ता से आश्वासन मिला है कि उन्हें पहले यह तर्क देने का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

जी.

राव, जे. ने इस मामले में कहा कि वैध अपेक्षा का प्रक्रियात्मक भाग एक प्रतिनिधित्व से संबंधित है कि एक सुनवाई या अन्य

2 (1993) 3 एससीसी 499 3 (1999) 4 एससीसी 727

4 1985 एसी 374:(1984) 3 सभी ईआर 935

एच.

निर्णय लेने से पहले उचित प्रक्रिया तय की जाएगी।सिद्धांत का मूल भाग यह है कि यदि यह प्रतिनिधित्व किया जाता है कि मूल प्रकृति का लाभ दिया जाएगा या यदि व्यक्ति पहले से ही लाभ की प्राप्ति में है, तो इसे जारी रखा जाएगा और इसमें काफी बदलाव नहीं किया जाएगा, तो इसे लागू किया जा सकता है।

16. आर**.** वी**.** रवींद्रन**,** जे**.** द्वारा राम प्रवेश सिंह बनाम बिहार राज्य **5** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वैध अपेक्षा एक कानूनी अधिकार नहीं है।अधिकार नहीं होने के कारण**,** यह लागू करने योग्य नहीं है।यह एक गर्भवती को हकदार बना सकता हैः

((क) अपेक्षा के विफल होने से पहले कारण दिखाने का अवसर; या

(ख) इनकार के कारण के बारे में स्पष्टीकरण देना।उचित मामलों में, न्यायालय एक निर्देश दे सकते हैं जिसमें प्राधिकरण को वादा की गई प्रक्रिया या साबित प्रथा का पालन करने की आवश्यकता होती है।

पर्याप्त वैध अपेक्षा

17. किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपेक्षा को नीति या कानून के कुछ प्रतिकूल विचार के अस्तित्व के कारण वैध नहीं पाया जा सकता है।6 प्रशासनिक नीतियाँ बदलती परिस्थितियों के साथ बदल सकती हैं, जिसमें सरकारों के राजनीतिक रंग में बदलाव भी शामिल हैं।इस तरह के बदलाव करने की स्वतंत्रता कुछ ऐसी है जो सरकार के हमारे संवैधानिक रूप में निहित है।7

18. सार्वजनिक हित में नीति को बदलने की निर्णय निर्माताओं की स्वतंत्रता को मूल वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करके बाधित नहीं किया जा सकता है।8 जब तक सरकार मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से कार्य नहीं करती है, तब तक नीति में परिवर्तन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पराजित होने की वैध अपेक्षा के आधार पर न्यायिक समीक्षा द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।19. प्रत्यर्थीगणओं को दिया गया आश्वासन कि उन्हें दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की भविष्य की रिक्तियों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, प्रत्यर्थीगणओं के अनुसार, वैध अपेक्षा के दावे को जन्म देता है।प्रत्यर्थीगणओं का तर्क है कि कोई वैध कारण नहीं है

जी.

5 (2006) 8 एस. सी. सी. 381

6 प्रशासनिक कानून, ग्यारहवां संस्करण, एच. डब्ल्यू. आर. वेड और सी. एफ. फोर्सिथ 7 ह्यूजेस बनाम विभाग। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभाग, एसी पी।788 8 फाइंडले बनाम सेकी।गृह विभाग की स्थिति।(1984) 3 सभी ई. आर. 801 ए.

एच.

179

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस. [एल. नागेश्वर राव जे.] ए.

सरकार उन्हें किए गए वादे से पीछे हट जाए।हम राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से सहमत हैं कि नीति में परिवर्तन सरकारी आदेश दिनांक 20.02.2002 के कार्यान्वयन में कठिनाई के कारण था।राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।चूंकि सरकार की परिवर्तन नीति का निर्णय केरल राज्य में विस्थापित अबकारी श्रमिकों और बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के हितों को संतुलित करने के लिए था, इसलिए 07.08.2004 पर लिया गया निर्णय जनहित के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।हम इस बात से सहमत हैं कि वैध अपेक्षा के संबंध में प्रत्यर्थीगणओं के दावे पर विचार करते समय नीति में बदलाव का कारण सर्वोपरि सार्वजनिक हित को उचित महत्व दिया जाना

चाहिए।हमारा मानना है कि निगम में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में भविष्य की 25 प्रतिशत रिक्तियों पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगणओं की अपेक्षा वैध नहीं है।

प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा

20. प्रत्यर्थीगणओं का दूसरा तर्क, जिसका उच्च न्यायालय ने समर्थन किया, यह था कि उन्हें दिए गए पुनर्वास के आश्वासन को वापस लेने से पहले वे एक अवसर के हकदार थे।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आश्वासन में बदलाव से पहले विस्थापित अबकारी श्रमिकों में से प्रत्येक को अवसर नहीं दिया गया था।हालाँकि, सरकार ने तर्क दिया कि विस्थापित अबकारी श्रमिकों से सरकारी आदेश दिनांक 07.08.2004 पारित करने से पहले उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से परामर्श किया गया था।नीति में बदलाव करने से पहले एक अवसर की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए जिसके द्वारा बड़ी संख्या में व्यक्तियों को आश्वासन दिया जाता है।

21. एक शिकायत के मामले में कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण सुनवाई का अवसर दिए बिना एक वादे से मुकर गया है, जो कि पिछली प्रथा थी, वैध अपेक्षा का दावा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि नीति या अभ्यास लाभ वापस लेने से पहले एक अवसर देना था, तो इस तरह के अभ्यास का पालन न करने का परिणाम किसी व्यक्ति या समूह की वैध अपेक्षा को विफल करने में होगा।

जी.

व्यक्तियों से।हांगकांग के महान्यायवादी बनाम एनजी युएन शिउ **9,**

प्रिवी काउंसिल एक अवैध अप्रवासी द्वारा सुनवाई की वैध अपेक्षा के दावे से संबंधित विवाद से संबंधित थी।उस मामले में प्रत्यर्थी ने अवैध रूप से हांगकांग में प्रवेश किया और उसके लिए रह गया।

9 [1983] 2 सभी ई. आर. 346

एच.

बिना पता लगाए लंबे समय तक।वह एक कारखाने का आंशिक मालिक बन गया जिसमें कई श्रमिकों को काम दिया गया।आप्रवासन नीति में एक बदलाव की घोषणा की गई थी जिसके तहत अवैध प्रवासियों से उचित समय पर पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि उन्हें हांगकांग से नहीं हटाया जाएगा।प्रत्यर्थी साक्षात्कार के लिए आप्रवासन अधिकारियों से संपर्क किया और साक्षात्कार के बाद उसे तब तक हिरासत में रखा गया जब तक कि आप्रवासन निदेशक द्वारा हटाने का आदेश नहीं दिया गया।उनकी अपील आप्रवासन न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी।हांगकांग के अपील न्यायालय ने प्रत्यर्थी को तब तक निषेध का आदेश दिया जब तक कि उसे निदेशक के समक्ष अपने मामले की परिस्थितियों को समझाने का अवसर नहीं दिया जाता।हांगकांग के महान्यायवादी द्वारा दायर अपील को प्रिवी काउंसिल द्वारा खारिज कर दिया गया था।अपील में प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया एकमात्र सवाल यह था कि क्या वह अपने खिलाफ निष्कासन आदेश दिए जाने से पहले सामान्य कानून के तहत निष्पक्ष जांच का हकदार था।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मामले के विशिष्ट तथ्यों में प्रत्यर्थी की सुनवाई के अधिकार पर निर्णय लिया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी को हटाने का आदेश पारित होने से पहले सुनवाई की 'वैध अपेक्षा' थी।

22. हमने उपरोक्त निर्णय का उल्लेख यह प्रदर्शित करने के लिए किया है कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किया गया दावा ही किसी वादे को वापस लेने से पहले अवसर नहीं दिए जाने के संबंध में हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप 'वैध अपेक्षा' विफल हो जाती है।

23. प्रक्रियात्मक वैध अपेक्षा का सिद्धांत उन मामलों पर लागू होगा जहां एक वादा किया जाता है और प्रभावित व्यक्ति को अवसर दिए बिना वापस ले लिया जाता है।प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता की आसन्न आवश्यकता उस व्यक्ति को अवसर देना है जो पिछले लाभ से वंचित है।हमारी राय में, उक्त नियम का एक अपवाद है।यदि सरकार द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को लाभ प्रदान करने वाली नीति की घोषणा की जाती है, लेकिन बाद में, सार्वजनिक हित के कारण, पहले घोषित किए गए लाभ वापस ले लिए जाते हैं, तो ऐसे असंख्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत अवसर प्रदान करना समीचीन नहीं है।दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामले की परिस्थितियों को समझाने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। भारत संघ बनाम.

जी.

हिन्दुस्तान विकास निगम और अन्य (ऊपर) यह आयोजित किया गया था

कि वैध अपेक्षा के आधार पर ब्याज वाले मामलों में, न्यायालय प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और स्वाभाविक ए के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।

एच.

181

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस. [एल. नागेश्वर राव जे.] ए.

न्याय, यदि निर्णायक प्राधिकारी को पसंद की एक पूरी श्रृंखला आवंटित की गई है और निर्णय निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से लिया गया है।

ग**.** न्यायिक समीक्षा और आनुपातिकता

24. दिनांकित 07.08.2004 आदेश को चुनौती, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगणओं को रोजगार के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित किया गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर है।सिविल सेवा परिषद में लॉर्ड डिप्लॉक

संघ और अन्य**. v.**सिविल सेवा मंत्री **10** ने कहा कि

प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप 'अवैधता', 'तर्कहीनता' और 'प्रक्रियात्मक अनुचितता' के आधार पर हो सकता है।उनकी राय थी कि 'आनुपातिकता' भविष्य में समीक्षा का एक अतिरिक्त आधार हो सकता है।वेड्सबरी के सिद्धांतों को लागू करके एक प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप केवल उन निर्णयों तक ही सीमित है जो तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवहेलना में अपमानजनक हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने तय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया हो, उस पर नहीं पहुंच सकता था।

25. परंपरागत रूप से, आनुपातिकता के सिद्धांत को मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए यूरोपीय सम्मेलन, 1950 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है।

26. ओम कुमार बनाम भारत संघ **11** में**,** इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया

निम्नलिखित हैः

"आनुपातिकता से हमारा तात्पर्य इस प्रश्न से है कि क्या मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करते समय**,** विधायिका या प्रशासक द्वारा उपायों का उचित या कम से कम प्रतिबंधात्मक चयन किया गया है ताकि कानून के उद्देश्य या प्रशासनिक आदेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।इस सिद्धांत के तहत**,** न्यायालय यह देखेगा कि विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकरण 'उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल प्रभावों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखें जो कानून या प्रशासनिक आदेश से व्यक्तियों के अधिकारों**,** स्वतंत्रताओं या हितों पर पड़ सकते हैं**,** जिसे वे पूरा करना चाहते थे।'हालाँकि**,** विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकरण को विवेक का एक क्षेत्र या विकल्पों की एक श्रृंखला दी गई है**,** लेकिन यह न्यायालय के लिए है कि क्या किया गया विकल्प अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन करता है या नहीं।आनुपातिकता से यही तात्पर्य है।**"**

जी.

10 इन्फ्रा एन।

11 ए. आई. आर 2000 एस. सी. 3689

एच.

इस मामले में, एम. जगन्नाथ राव, जे. ने इंग्लैंड और भारत में प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा के लिए आनुपातिकता के सिद्धांतों के विकास की जांच की।कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आनुपातिकता परीक्षण न्यायालय द्वारा उन मामलों में प्राथमिक समीक्षा प्राधिकरण के रूप में लागू किया जाता है जहां अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होता है।आनुपातिकता परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी निर्णय की समीक्षा में भी लागू किया जा सकता है जहां प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती इस आधार पर दी गई है कि यह भेदभावपूर्ण था और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।यह स्पष्ट किया गया कि जब किसी प्रशासनिक कार्रवाई को मनमाना और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी जाती है तो वेड्सबरी के सिद्धांतों का पालन करना होगा। ऐसे मामले में, न्यायालय एक द्वितीयक समीक्षा करेगा।

27. प्राथमिक समीक्षा का प्रयोग करते समय, न्यायालय को राज्य से नीति को उचित ठहराने के लिए कहने का अधिकार है और क्या दावेदारों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता थी।द्वितीयक समीक्षा में, न्यायालय कार्यपालिका के निर्णय का सम्मान करता है।28. आनुपातिकता में 'संतुलन परीक्षण' और 'आवश्यकता परीक्षण' शामिल हैं।12 जबकि संतुलन परीक्षण अत्यधिक और भारी दंड या अधिकारों या हितों के उल्लंघन और प्रासंगिक विचारों के स्पष्ट असंतुलन की जांच की अनुमति देता है, आवश्यकता परीक्षण के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन की आवश्यकता होती है।13

29. एक प्रशासनिक निर्णय को आनुपातिक कहा जा सकता है यदिः(क) जिस उद्देश्य से मौलिक अधिकारों में कटौती करने का निर्णय लिया जाता है, वह महत्वपूर्ण है।

(ख) उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों का उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है; और

(ग) व्यक्तियों के अधिकारों को बाधित करने वाले साधन आवश्यक से अधिक नहीं हैं।

30. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थीगणओं ने अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन करने वाले 07.08.2004 के आदेश को चुनौती दी।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और कहा कि 07.08.2004 दिनांकित आदेश दूषित है क्योंकि यह इसके दुष्प्रभावों से ग्रस्त है।

जी.

12 कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और अन्र। (2007) 4 एससीसी 669

13 प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा (1955) और वेड एंड फोर्सिथःप्रशासनिक कानून (2005) (2007) 4 एस. सी. सी. 669 ए

एच.

183

केराला स्टेट बीवरेजेस (एम एंड एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.पी. पी. सुरेश एंड ओ. आर. एस. [एल. नागेश्वर राव जे.] ए.

मनमानी और अनुचितता।हालाँकि, अनुच्छेद 14,19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर सरकार के निर्णय की चुनौती को देखते हुए, सरकार के विवादित निर्णय की समीक्षा के लिए आनुपातिकता का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए।

31. प्रत्यर्थीगणओं का तर्क सबसे पहले यह था कि सरकार द्वारा पहले दिए गए आश्वासन में संशोधन/परिवर्तन करके उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।दूसरा, कि प्रत्यर्थीगणओं ने नौकरी पाने का अवसर खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए उनके जीवन और आजीविका से वंचित हो गए।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि निर्णय मनमाना है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।सरकार का तर्क था कि विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार के लिए दिए गए आश्वासन में संशोधन अपरिहार्य था।राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि संशोधन के लिए किए गए उपायों और नीति में परिवर्तन के उद्देश्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध है।सरकार ने यह कहते हुए निर्णय को उचित ठहराया कि प्रत्यर्थीगण के अधिकारों को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनाए गए साधन अत्यधिक नहीं थे।

32. सरकार द्वारा विस्थापित अबकारी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का वादा निगम में रिक्तियों की अनुपलब्धता को देखते हुए एक असंभव काम बन गया था।लोक हित पर हावी होकर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय केरल राज्य में विस्थापित अबकारी श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाने का एक उपाय था।नीति में परिवर्तन के कारण प्रत्यर्थीगणओं के मौलिक अधिकारों की हानि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विस्थापित अबकारी श्रमिकों के पुनः नियोजन के संबंध में नीति में परिवर्तन असमान है।

33. प्रत्यर्थीगणओं का एक अन्य तर्क जिसने उच्च न्यायालय का पक्ष लिया, वह यह था कि 2007 की रिट याचिका (सी) No.26878 में दिनांकित 07.08.2004 आदेश को अवैध पाया गया था और यह कि उक्त निर्णय अंतिम हो गया है।मृत विस्थापित श्रमिकों के 265 आश्रित बेटों की सूची में शामिल किए जाने के बावजूद उनकी नियुक्ति न होने से दुखी होकर, उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर सरकार को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने सरकार को छह सप्ताह की अवधि के भीतर उन व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया जिन्हें सूची में शामिल किया गया था।उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 20.02.2002 दिनांकित आदेश में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए था

और सरकार को दिनांकित 07.08.2004 आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। सरकार ने उपरोक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन किया और एक सरकारी आदेश दिनांक 1 जारी किया जिसके द्वारा मृतक अबकारी श्रमिकों के 265 आश्रित बेटों को रोजगार प्रदान किया गया था।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि 2007 की रिट याचिका (सी) No.26878 में दिनांकित 07.08.2004 आदेश की वैधता पर अंततः निर्णय लिया गया है।

34. हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं कि प्रत्यर्थीगणओं को नियुक्ति का अधिकार अर्जित किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए जीवन के अधिकार में परिपक्व हो गया है।हम उच्च न्यायालय की इस राय को अस्वीकार करते हैं कि दिनांकित 07.08.2004 का आदेश दिनांकित 20.02.2002 के आदेश की निरंतरता में है क्योंकि दिनांकित 20.02.2002 का आदेश रद्द नहीं किया गया है। 07.08.2004 का आदेश दिनांक 20.02.2002 के आदेश के संशोधन में जारी किया गया था।दोनों आदेशों की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि मृतक अबकारी श्रमिकों के आश्रित बेटों को ही रोजगार प्रदान करने के लिए लिए गए एक नए निर्णय को देखते हुए दिनांकित 07.08.2004 आदेश दिनांकित 20.02.2002 को प्रतिस्थापित करता है।

35. उपरोक्त कारणों से, अपीलों की अनुमति दी जाती है।अवमानना याचिका बंद कर दी गई है।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।